न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 16 / 2017 / (2017 / 00049) जिला–अजमेर

1. देवीदास पुत्र भैरूमल
2. लक्ष्मणदास पुत्र भैरू
   उपरोक्त दोनों जाति सिंधी निवासी ग्राम अरड़का तहसील व जिला अजमेर हाल निवास मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर

..... प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
आदेश सहायक कलेक्टर मुख्यालय अजमेर दिनांक 22–06–2016
प्रकरण संख्या 09 / 2016

उपस्थित : 1. श्री मृणाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यथी

निर्णय

दिनांक : 11–07–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने भू–संशोधन के दौरान आधार जमाबंदी में हुए त्रूटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–06–2016 से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण को सूचित किये बिना लोक अदालत केम्प में पत्रावली को रखकर प्रत्यर्थी तहसीलदार अजमेर से जवाब प्राप्त किये बिना एवं त्रुटिपूर्ण रूप से रिपोर्ट का कथन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 9–1–2017 को अभिभाषक से सम्पर्क करने पर हुई। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सूचित नहीं किया और ना ही जवाब लिया गया और तहसीलदार अजमेर से प्राप्त त्रूटिपूर्ण रिपोर्ट को आधार बनाकर दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है जिसकी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि वाके ग्राम अरड़का पटवार क्षेत्र अरड़का भू–अभिलेख क्षैत्र नरवर तहसील अजमेर में स्थित कृषि भूमि खतौनी संख्या 468/429 के खसरा नम्बर 80 मिन का रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा बारानी–3 तथा खसरा नम्बर 81 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 18 बीघा पर अपीलार्थीगण पुश्तैनी रूप से रेकार्डेड खातेदार के रूप में कबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादग्रस्त खसरा नम्बर 80 मिन व 81 की आराजी के राजस्व अभिलेख वर्किंग जमाबंदी के हाल आधार जमाबंदी में खसरा नम्बर 80 मिन के नये खसरा नम्बर 251 का रकबा

0.71 व 251/2285 का रकबा 0.43 बना है तथा खसरा नम्बर 81 के नये खसरा नम्बर 242 रकबा 0.92 व 241 के रकबा 0.80 बना है। भू–प्रबन्ध विभाग ने भू–संशोधन के दौरान वर्तमान आधार जमाबंदी जो सम्वत 2064–2083 बनाई है जिसमें अपीलार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि के खतौनी संख्या 540 अंकन करते हुए कॉलम संख्या 4 मे त्रुटिवश मु0 सुगनी देवी पत्नी भैरूमल का नाम अंकन कर दिया जबकि वर्किंग जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 679 दिनांक 22–9–2008 से मृतक सुगनी देवी की विरासत उनके पुत्र अपीलार्थीगण के नाम अंकन दर्ज किया है। इसी प्रकार कॉलम संख्या 7 में नये खसरा नम्बर 241 व 242 व 251 की किता 3 का कुल रकबा 2.43 का ही अंकन अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किया है जबकि खसरा नम्बर 251/2285 का रकबा 0.43 बारानी–3 का अंकन भी अपीलार्थीगण के नाम से उक्त खाते में दर्ज किया जाना चाहिए था जिसे त्रुटिवश सिवायचक दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार अजमेर से जवाब प्राप्त किये बिना आदेश दिनांक 22–6–2016 पारित कर अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि भू–प्रबन्ध विभाग को अथवा अन्य किसी अधिकारी को कोई भी अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी सक्षम न्याालय के आदेश के राजस्व अभिलेख में दर्ज अंकन को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश में खाता संख्या 183 में सुगनी देवी का नाम नहीं होने का कथन किया है जो कि पटवार पड़त पर आधारित है जबकि आवेदन पत्र के साथ भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा धारा 21 के अन्तर्गत फार्म संख्या 7 में सम्वत 2064 से 2083 के खाता संख्या 540 एवं कॉलम संख्या 04 में मृतक मु0 सुगनी देवी के नाम का अंकन त्रुटि से दर्ज किया है और जिसमें कॉलम संख्या 07 में खसरा नम्बर 241, 242, 251 की आराजी ही खातेदारी में ही शामिल की है और त्रुटि से आंशिक खाता संख्या 638 सिवायचक खसरा नम्बर 251/2285 0.4300 हैक्टर का अंकन कर दिया गया है जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 80 का रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा के नये नम्बर 251 व 251/2285 बने है जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजी के है जिनमें से केवल 251 को खातेदारी में दर्ज किया गया और 251/2285 का रकबा 0.4300 हैक्टर को बिना किसी आदेश के त्रुटिवश सिवायचक दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित था जिसके लिए समुचित अधिकार जिला कलक्टर को दिये गये थे लेकिन त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2016 निरस्त किया जाकर वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत 2064 से 2083 के खतौनी संख्या 540 के कॉलम संख्या 4 में त्रुटिपूर्ण अंकन मु0 सुगनी देवी पत्नी भैरूमल को हटाया जाकर खसरा नम्बर 251/2285 का रकबा 0.43 हैक्टर बारानी–3 को अपीलार्थी को खातेदारी खतौनी जमाबंदी में खातेदार के रूप में अंकन दर्ज किया जाकर सिवायचक हटाये जाने के आदेश प्रत्यर्थी तहसीलदार को प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी तहसीलदार, अजमेर के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजियात बाबत जो अनुतोष चाह रहे है वह धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में नहीं दिया जा सकता है। साथ ही तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 251/2285 राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। अपीलार्थीगण आर.टी.एक्ट की धारा 88 में ही सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 22–06–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मेरा आधा प्रार्थना पत्र पहले स्वीकार किया शेष खसरा नम्बर जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से सिवायचक दर्ज कर दिया है उसे दुरूस्त किया जावे।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी सम्वत 2064–83 के अनुसार खाता संख्या 638 खसरा नम्बर 251/2285 रकबा 0.4300 हैक्टर जो कि सिवायचक दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्टदिनांक 22–6–2016 में उल्लेखित है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 80 मिन रकबा 07–08–00, खसरा नम्बर 81 रकबा 10–12–00 वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 468 में भैरूमल वल्द डालूमल कोम सिंधी के नाम नामान्तरकरण संख्या 303 दिनांक 3–6–89 से खातेदारी में है तथा नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 5–4–2005 द्वारा जरिये विरासत सुगनी देवी पत्नी भैरूमल, देवीदास, लक्ष्मण दास पि0 भैरूमल कौम सिंधी साकिन किशनगढ़ के नाम से दर्ज की गई थी। नवीन भू–प्रबन्ध अनुसार नवीन खसरा नम्बर 251/2285 रकबा 0.4300, 251 रकबा 0.71, खसरा नम्बर 242 का रकबा 0.92, खसरा नम्बर 241 का रकबा 0.80 बने जिसमें से नवीन खसरा नम्बर 241 रकबा 0.80, खसरा नम्बर 242 0.92, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.71 वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 183 में खातेदार देवीदास, लक्ष्मणदास पि0 भैरूमल कौम सिंधी साकिन किशनगढ़ के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 251/2285 खाता संख्या 1 में सिवायचक भूमि दर्ज है। जिस पर अपीलार्थीगण का किसी प्रकार से कब्जा नहीं होने से दरूस्ती कराने के अधिकारी नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत लिपिकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट प्रतीत होती हो दोनों पक्षों की सहमति से दुरूस्त की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 251/2285 सिवायचक दर्ज है जबकि अपीलार्थीगण उक्त आराजी

पर अपना कब्जा काश्त होना बता रहे है तथा उक्त आराजियत खसरा नम्बर 251/2285 को अपीलार्थीगण अपने नाम दर्ज कराना चाहते है जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में देय नहीं है। अपीलार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में अनुतोष चाहने हेतु सक्षम न्यायालय में हक अधिकार हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर नियमित वाद के जरिये अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–06–2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–06–2016 प्रकरण संख्या 09/2016 बउनवान देवीदास व अन्य बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर